

28⁶
18

पत्रावली कोर्ट में पेश हुई। (वादीगण सहित) उपा (वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है जिससे पत्रावली को अमान्य पत्रावली किया। पत्रावली को अमान्य ठहराए जाने पर उपा को वाद डिक्री किया जाये तथा वाद अमान्य ठहराया जाये।

17⁷
18

वादी के प्राथमिक पत्र पर पत्रावली प्राप्त होने पर कोर्ट में वादी ने प्राथमिक पत्र 0-6 R-17 पेश कर जिक्र किया कि वाद पत्र के क्रमांक 10 के अन्तर्गत एक में पत्रावली व डिक्री कोर्ट से क्र. नं. 1835/0-11, 1833/0-17, 1827/0-18, 1825/0-06 (विशेष) प्राप्त हुआ कोर्ट का सौदा जाकर वादी को अमान्य पत्रावली प्राप्त होने का मामला कोर्ट में प्रस्तुत है। उपा को अमान्य पत्रावली को अमान्य ठहराए जाने पर उपा को वाद डिक्री किया जाये (पत्रावली को अमान्य ठहराए जाने पर अमान्य पत्रावली किया जाये। उपा को अमान्य ठहराए जाने पर उपा को वाद डिक्री किया जाये।

उपा अधिकारी
कोर्ट (अमान्य)

